कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बांदा।

पत्रांकः– 2002 /39–1(निविदा) ,दिनांक, बांदा, दिसम्बर 02 , 2016

अल्पकालीन निविदा सूचना

इस कार्यालय के पत्र संख्या–1761/39–1 निविदा दिनांक 16.11.2016 द्वारा बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत बांदा वन प्रभाग बांदा के अन्तर्गत रेंजो में वर्ष 2016–17 में पक्के चैकडैम निर्माण हेतु निम्नांकित विवरण के अनुसार निर्माण सामग्री आपूर्ति हेतु निविदा सूचना का प्रकाशन समाचार पत्रों में किया गया था परन्तु निविदा में प्राप्त सामग्री की दर लोक निर्माण विभाग, बांदा की प्रचलित दरों से अधिक होने के कारण निम्नलिखित सामग्री आपूर्ती हेतु मोहरबन्द निविदायें पुनः आमंत्रित की जाती हैं। निविदायें दिनांक 08.12.2016 को सांय 3.00 बजे तक रजिस्टर्ड डाक द्वारा अधोहस्ताक्षरी के नाम प्राप्त हो जानी चाहिए, जो उसी दिन उपस्थित निविदादाताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष अधोहस्ताक्षरी या उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा सांय 4.00 बजे खोले जायेंगे।

आपूर्ति की जाने वाली सामग्री

क्र0 सं0	रेंज का नाम	स्थल का नाम	संरचना का नाम एव संख्या	आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की मात्रा का विवरण						रेंज मुख्यालय से निर्माण स्थल की दूरी किमी0 कच्चा (जगल रस्ता एवं पक्का मार्ग)	
				सीमेन्ट बोरी (बोरी 50 किग्रा0) 43 ग्रेड पी0पी0सी0	कोर्स सैण्ड (घ0मी0) (बालू)	गिट्टी एम0एम0		पत्थर खण्डा		पक्का मार्ग (कि0 मी0)	कच्चा मार्ग (कि0 मी0)
						20:40 (घ0मी0)	10:20 (घ0मी0)	पत्थर खण्डा (घ0मी0)	पत्थर बोल्डर (घ0मी0)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	बांदा	खरौच	पक्का चैक डैम–01	973	155.60	72.16	22.60	150	70.40	35	5
2	बांदा	रामपुरमुदी	पक्का चैक डैम–01	725	120.48	42.60	17.82	120	57.30	42	2
3	तिन्दवारी	कुकुवापाड	पक्का चैक डैम–01	681	110.12	46.80	12.75	120	50.36	30	1
4	बांदा	मरौली	पक्का चैक डैम–01	725	120.48	42.60	17.82	120	57.30	35	3
5	बबेरू	जलालपुर	पक्का चैक डैम–01	725	120.48	42.60	17.82	120	57.30	55	2.5

निविदा की शर्ते

1. उपरोक्त स्थल पर सामग्री की आपूर्ति हेतु निविदा भरनी होगी।
2. निविदा हेतु स्पष्ट रूप से क्रम संख्या, रेंज का स्थल का नाम एवं संरचना का नाम लिखना होगा।
3. निविदा की आवश्यक जानकारी एवं निविदा फार्म अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से 300 रू0 जमा कर किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 06.12.2016 को दोपहर 12.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते है तथा लिफाफे के ऊपर सम्बन्धित सामग्री हेतु निविदा लिखा होना अनिवार्य है।
4. निविदा के मूल्य का 2 प्रतिशत धनराशि प्रतिभूमि के रूप में डाकघर की एक वर्षीय/दो वर्षीय सावधि जमा योजना या फिर एन0एस0सी0 के रूप में प्रभागीय वनाधिकारी, बांदा के नाम निरूपित हो संलग्न करना होगा।
5. आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की मात्रा घट बढ़ सकती है।
6. सीमेन्ट की आपूर्ति क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा बताये गये निर्दिष्ट स्थल पर निर्दिष्ट मात्रा में की जायेंगी।
7. आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता एवं मात्रा मानक के अनुरूप होनी चाहिए। आपूर्ति के समय सामग्री की गुणवत्ता की जॉच सम्बन्धित क्षेत्रीय वनाधिकारी के द्वारा की जायेगी। सामग्री मानक के अनुरूप न पाये जाने पर निविदा दाता का भुगतान रोक दिया जायेगा।
8. स्थानीय पंजीकृत ठेकेदारों की वरीयता दी जायेगी।
9. टेण्डर के साथ तीन वर्ष के आयकर एवं विक्रय कर के रिटर्न की छायाप्रति, आपूर्ति के अनुभव का प्रमाण पत्र हैसियत प्रमाणक, चरित्र प्रमाग पत्र, परिचय पत्र आदि राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कराकर लगाना होगा।
10. आपूर्तिकर्ता के सामग्री की आपूर्ति के समय रायल्टी भुगतान के प्रमाण के रूप में एम0एम0 11 को प्रमाणित छायाप्रति देनी होगी। समस्त रायल्टी भुगतान की जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता की होगी।
11. आपूर्ति आदेश निर्गत करने के सात दिन के अन्दर सामग्री की आपूर्ति करनी होगी अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

12. पी0डब्लू0डी0 के मानको के अनुसार पोर्टलैण्ड सीमेन्ट, कोर्स सैण्ड (केन/बेतवा नदी), स्टोन बैलास्ट, गिट्टी ग्रेनाइट स्टोन खण्डा व बोल्डर (कबरई तथा जमाला) अथवा निकट की कबरई से आपूर्ति होनी चाहिए।

13. अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि किसी भी निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकार कर दें, जिसकी कोई अपील नहीं होगी।

14. निविदा दाता द्वारा किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करने पर दिया गया आदेश निरस्त करते हुये बंधक धन जब्त कर लिया जायेगा। कोई निविदा सशर्त मान्य नहीं होगी।

15. आपूर्ति की जाने वाली सामग्री के भुगतान करते समय नियमानुसार देय आयकर, स्टाम्प डियूटी, बिक्रीकर आदि की कटौती कर ली जायेगी।

16. सामग्री की आपूर्ति निर्माण की जाने वाली संरचना (चैकडैम) के निर्माण स्थल पर करनी होगी। इस हेतु रेंज मुख्यालख्य से संरचना के निर्माण स्थल की दूरी दी गयी है।

17. रास्ते में पड़ने वाले सभी प्रकार के खर्चे/टैक्सेज निविदा दाता को स्वयं वहन करने होंगे।

18. निविदा अनुमोदन के उपरान्त अनुमानित मूल्य का कुल 10 प्रतिशत धनराशि जमानत के रूप में शर्त संख्या 4 के अनुसार जमा करना होगा।

19. टेण्डरदाता का पंजीयन बिक्री कर विभाग एवं लोक निर्माण विभाग या सिंचाई विभाग या लघु सिंचाई विभाग में से किसी एक में होना अनिवार्य है।

20. निविदा दाता निविदा की जानकारी हेतु http://Banda.nic.in/ पर प्राप्त कर सकते है।

(प्रमोद कुमार गुप्ता)
प्रभागीय वनाधिकारी,
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बांदा।

पृष्ठांकन सं0: 2002 /अ/समदिनांक।

प्रतिलिपि– निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य वन संरक्षक, बुन्देलखण्ड जोन, उ0प्र0 झॉसी।
2. वन संरक्षक, चित्रकूटधाम वृत्त, बॉदा।
3. जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक, ग्राम्य विकास अभिकरण बादा।
4. जिला सूचना अधिकारी, बांदा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त निविदा का प्रकाशन समाचार पत्रों में निःशुल्क कराने का कष्ट करें।
5. निदेशक, सूचना एवं जन–सम्पर्क निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की कृपया उक्त निविदा का प्रकाशन किन्ही तीन पंजीकृत सामाचार पत्रों में निःशुल्क कराने का कष्ट करें।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर।
7. अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, बांदा।
8. समस्त क्षेत्रीय वनाधिकारी, बांदा वन प्रभाग, बांदा को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।
9. जिला एन0आई0सी0 अधिकारी, बांदा को एन0आई0सी0, बांदा की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
10. स्टोर कीपर/लेखा लिपिक, बांदा वन प्रभाग, बांदा।
11. नोटिस बोर्ड।

(प्रमोद कुमार गुप्ता)
प्रभागीय वनाधिकारी,
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बांदा।